278 लोगों को सजा सुनाई गई है हिमाचल प्रदेश में डेढ़ साल में एनडीपीएस एक्ट के 595 मामलों में। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शिक्षण संस्थानों में भी नशे के खिलाफ पाठ पढ़ाया जा रहा है।

न्यूज गैलरी

हैदराबाद दुष्कर्म के आरोपितों के परिजन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपितों के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने, जांच कराने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता पीवी कृष्णामचार्य और आर. सथीश के जरिये दायर याचिका में मारे गए चारों आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने और अपने पुत्रों की पुलिस हिरासत में मौत के लिए 50-50 लाख रुपये के हर्जाने की मांग भी की गई है। याचिका में दावा किया गया है, 'चारों मारे गए कथित आरोपित निर्दोष हैं। पुलिस ने लोगों को खुश करने और वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए उद्देश्य से सुबूत नष्ट करने के लिए चारों आरोपितों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। इसकी वजह यह है कि पुलिस वास्तविक दोषियों को पकड़ नहीं पाई।' याचिका में साइबराबाद पुलिस आयुक्त सीवी सज्जनार समेत सभी पुलिस अधिकारियों और तेलंगाना सरकार को सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, मुठभेड़ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है। (एएनआइ)

नक्सली पर्चा बांटने वाले छात्रों पर चलेगा यूएपीए का मुकदमा

कोच्चि : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने केरल में नक्सली समर्थक पर्चा बांटने के आरोपित दो छात्रों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया है। एनआइए ने इस मामले में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को राज्य में सत्तारूढ़ माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं टी. फजल (24) और ए. सुहैब (20) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दोनों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह जाहिर होता है कि दोनों के माओवादियों से संपर्क हैं। फैजल और सुहैब क्रमश: पत्रकारिता व कानून के छात्र हैं। वे माकपा सदस्य भी हैं। दो नवंबर को कोझिकोड में इनकी गिरफ्तारी की राज्यभर में आलोचना हुई थी। (प्रेट्र)

मुठभेड़ में महिला समेत दो नक्सली ढेर

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिगनमडगू के जंगल में गुरुवार शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में महिला समेत दो वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गए। आइजी बस्तर सुंदरराज पी और एसपी सुकमा शलभ सिन्हा ने बताया कि गुरुवार को चिंतागुफा थाना से डीआरजी (डिस्ट्रक्ट रिजर्व गार्ड) और एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टुकड़ियां तलाशी अभियान पर निकली थीं। सिगनमडगू के जंगल में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब एक घंटे तक चली जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से दो नक्सलियों के शव और एक थ्री नॉट थ्री राइफल व एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। महिला नक्सली के वर्दी पर लगे चिह्न से उसे प्लाटून नंबर आठ की सदस्य बताया जा रहा है। उधर, सुकमा जिले में ही एक लाख रुपये के इनामी नक्सली मड़कामी सोमारू ने तोंगपाल थाना प्रभारी विजय पटेल और सीआरपीएफ 227 वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी रामचंद्र राम के समक्ष समर्पण कर दिया। वह कटेकल्याण, बस्तर के दरभा, पखनार और सुकमा के कुकानार एरिया में सक्रिय था। (नईदुनिया)

ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका राकेट का सफल परीक्षण

बालेश्वर : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से गुरुवार दोपहर 12:05 बजे उन्नत संस्करण के पिनाका राकेट का सफलता पूर्वक परीक्षण किया। इससे पिनाका की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ गई है। पिनाका को पुणे के अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलेपमेंट स्टैब्लिसमेंट और हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट लेब्रोटरी ने मिलकर तैयार किया है। पहले पिनाका में गाइड लाइन सिस्टम नहीं था, जिससे अब लैस किया गया है। पहले इसकी मारक क्षमता 40 किमी थी जो अब बढ़कर 70 किमी हो गई है। गुरुवार को परीक्षण के दौरान चांदीपुर के रक्षा क्षेत्र में रडार इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम व टेलीमेट्री सिस्टम ने राकेट के पूरे मार्ग की निगरानी की। (जासं)

उत्तर भारत में ठंड ढाने लगी सितम, कोहरा बना कहर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर जारी है। पंजाब में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।

मौसम विभाग के मुताबिक अभी तीन दिन और ऐसा ही मौसम बना रहेगा। राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा होगा। शनिवार को जरूर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को दिल्ली के लोगों ने मौसम की सबसे सर्द सुबह में आंखें खोली। अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री कम 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले साल 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हवा में नमी का स्तर 82 से 100 फीसद रहा। दिन भर बादल छाए रहे। हिमाचल और उत्तराखंड में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रुक-रुक कर बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे। भारी बर्फबारी के कारण एक सप्ताह से रोहतांग दर्रे में लोगों की आवाजाही नहीं हो सकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार व नैनीताल के स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। वैष्णो देवी तीर्थस्थल जाने के लिए बेस कैंप कटरा में रात में तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

रबी फसलों के लिए फायदेमंद : करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक कोहरा पड़ने और तापमान में गिरावट होने से रबी फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इनमें गेहूं, सरसों, चना, मटर, गन्ने आदि की फसलों को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण नदियों के जलस्तर में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह से पन बिजली इकाइयों में उत्पादन घट गया है। हरियाणा के यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर पर स्थापित बिजली इकाइयों पर बिजली उत्पादन घटकर करीब पांच लाख यूनिट रह गया है, जबकि क्षमता 10 से 12 लाख है।

उत्तर भारत भीषण ठंड के आगोश में है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम बढ़ गया है। गुरुवार को नई दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा। संजय

शहर और न्यूनतम तापमान

द्रास	-14.4
केलंग	-12.0
श्रीनगर	-2.3
मनाली	1.0
पटियाला	5.5
दिल्ली	5.2
नारनौल	3.5
दतिया	5
कोलकाता	11.9
अंबिकापुर	5

(डिग्री सेल्सियस में)

जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा

जासं, जयपुर : जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को 11 साल सात माह बाद शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा सजा सुनाएंगे। ब्लास्ट के चारों आरोपितों को बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। बहस से पहले चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने न्यायमित्र पैकर फारूख से कहा कि शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। आप जो बहस करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं। इस पर न्यायमित्र ने चारों की सजा में रियायत देने की मांग की। सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद अब शुक्रवार शाम चार बजे सजा का ऐलान किया जाएगा।

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को गुलाबी नगरी में आठ जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने मुहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मुहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया है।

पार्किंग की जगह होने पर ही हो वाहन का पंजीकरण

हाई कोर्ट का आदेश ▶ सड़कों पर वाहन लगाने की नहीं दी जाए इजाजत

अदालत ने ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए ठोस नीति तैयार करने का दिया निर्देश

जेएनएन, जम्मू

ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने राज्य शासन को ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वाहन रजिस्ट्रेशन नियमों में संशोधन करके ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें केवल उन्हीं वाहनों का पंजीकरण किया जाए, जिनके मालिक के पास गाड़ी लगाने के लिए उपयुक्त पार्किंग गैराज हो। यह नियम निजी व व्यावसायिक, दोनों वाहनों पर लागू हो।

हाई कोर्ट ने सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नीति तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग और शहर की सड़कों पर वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

जम्मू व श्रीनगर में ट्रैफिक समस्या के निवारण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जस्टिस अली मुहम्मद व जस्टिस डीएस ठाकुर ने श्रीनगर शहर से उक्त नियमों की शुरुआत करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि वह सड़कों को पार्किंग से मुक्त करवाएं। बेंच ने साफ किया कि श्रीनगर नगर निगम या श्रीनगर विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग के चिह्नित सड़कों पर भी किसी वाहन को पार्क करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

बेंच ने पाया कि इस मामले में कोर्ट ने समय-समय पर कई दिशानिर्देश जारी किए, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। बेंच ने ट्रैफिक प्रबंधन के संदर्भ में कई आदेश दिए। वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय प्रमुख थे। साथ ही पेट्रोल और डीजल वाहनों को सीएनजी-एलपीजी में बदलने, श्रीनगर में चल रहे बीस हजार थ्री-व्हीलर को सीएनजी और एलपीजी करने, गैर पंजीकृत थ्री-व्हीलर, सूमो व बस स्टैंड हटाने या महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट पूरा करने के मामले भी अभी लंबित हैं।

बेंच ने कहा कि इतने सारे मुद्दे एक साथ जुड़ने से भी इस केस की उचित सुनवाई व निगरानी नहीं हो पाई। लिहाजा बेंच अब कुछ मुद्दों पर एक वक्त में सुनवाई करेगा।

सीएनजी के लिए निजी कंपनियों से संपर्क करने का आदेश : बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान वाहनों के पंजीकरण, सड़कों पर पार्किंग व सीएनजी-एलपीजी का मुद्दा लिया। सीएनजी-एलपीजी के मुद्दे पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन के वकील ने बेंच को बताया कि कारपोरेशन सीएनजी नहीं देती, कुछ निजी कंपनियां सीएनजी देती हैं। इस पर बेंच ने सरकार को संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने का निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। फाइल

25 साल पुराने वाहनों को हटाने पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करें परिवहन आयुक्त

बेंच ने कहा कि 17 मई 2017 को कोर्ट ने 25 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन यह रिपोर्ट भी अभी तक पेश नहीं की गई। लिहाजा अगली सुनवाई तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यह रिपोर्ट भी पेश करें। बेंच ने काजीगुंड से बनिहाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की दिशा में अब तक हुए काम की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

ओडिशा में अब किन्नरों के जरिये बीएमसी वसूल करेगा टैक्स

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) ने वर्षों से टैक्स न देने वालों से टैक्स वसूलने का एक नया फार्मूला अपनाया है। बीएमसी ने अपना बकाया वसूलने के लिए किन्नर संगठन से करार किया है। इसके अनुसार बीएमसी टैक्स की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के घर पर अब किन्नरों की टोली जाएगी और बकाया वसूलने का काम करेगी। इसके एवज में उन्हें बीएमसी की तरफ से कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) श्रीमंत मिश्र और किन्नर स्वयं सहायक गुट के मध्य बुधवार को करार हुआ है। किन्नर स्वयं सहायक गुट की तरफ से ओंकार बस्ती की मेघना साहू ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के अनुसार 40 लाख तक की वसूली पर किन्नर सहायक गुट को एक फीसद धनराशि कमीशन के तौर पर दी जाएगी और अगर वसूली 40 से 60 के मध्य होती है तो कमीशन 1.5 फीसद एवं उससे अधिक होने पर वसूली का दो फीसद कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। पहले 10 किन्नरों को इस वसूली योजना में शामिल किया जाएगा। इन्हें इस कार्य के लिए विशेष यूनीफार्म, बैच एवं परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा।

बीएमसी की ओर से इन किन्नरों को सर्वप्रथम प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद में बकाया टैक्स वसूली के काम में नियोजित किया जाएगा। बीएमसी डिप्टी कमिश्नर श्रीमंत मिश्र ने कहा है कि राजधानी में शताधिक लोग हैं जो होल्डिंग शुल्क नहीं दे रहे हैं। उन्हें बार बार नोटिस भेजने के बावजूद उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अब किन्नरों को उनके घर भेजा जाएगा।

मिड-डे मील में फिर भेदभाव पुलिस ने शांत कराया विवाद

संवाद सूत्र, गोहर

- हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के कशौड़ स्कूल का मामला
- देवता का हवाला देकर बच्चों को इकट्ठे भोजन करने से रोका

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सराज इलाके के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील परोसे जाने में जातीय भेदभाव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राजकीय उच्च पाठशाला कशौड़ में भेदभाव का मामला सामने आया है। यहां आठवीं कक्षा तक के बच्चों को रोल नंबर आधार पर पंक्ति में बैठाकर मिड डे मील परोसने पर सामान्य वर्ग के अभिभावकों ने आपत्ति जताई। उन्होंने देवता का हवाला देकर स्कूल प्रशासन पर अलग भोजन परोसने का दबाव बनाया है। अनुसूचित जाति वर्ग के अभिभावकों ने औट थाना में इस संबंध में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया है।

जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर को सामान्य वर्ग के बुधराम, नीलमणि, गिरजा देवी, गोपाल, हुमा देवी व आलमी देवी स्कूल गए। वहां शिक्षकों पर दबाव बनाया कि उनके बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ मिड डे मील के दौरान पंक्ति में रोल नंबर आधार पर न बैठाया जाए। ऐसा करने से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मसला देवता से जुड़ा है। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले करीब 23 अभिभावकों ने पुलिस अधीक्षक मंडी को इस संबंध में शिकायत की है। अनुसूचित जाति वर्ग के अभिभावकों ने थाना औट के प्रभारी ललित महंत को भी 18 दिसंबर को शिकायत पत्र देकर आरोपितों के विरुद्ध एससीएसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मांग की।

दोनों पक्षों के अभिभावकों के बीच गलतफहमी की वजह से विवाद हुआ था। अब विवाद सुलझा लिया गया है। इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को रोल नंबर आधार पर ही पंक्ति में बैठाया जाता है।

-कृष्ण चंद, एसएमसी प्रधान कशौड़ स्कूल।

शिकायत मिलने के बाद डीएसपी अनिल पटियाल व थाना प्रभारी औट को स्कूल भेजा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभिभावकों ने शिकायत वापस ले ली।

-गुरदेव शर्मा, पुलिस अधीक्षक, मंडी।

गुरुवार को डीएसपी अनिल पटियाल पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने वहां पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दोनों पक्षों के अभिभावकों बयान दर्ज किए और उनकी काउंसिलिंग की। इसके बाद दोनों पक्ष बच्चों को रोल नंबर आधार पर पहले की तरह बैठाने पर सहमत हो गए। स्कूल में अनुसूचित जाति वर्ग के 75 व सामान्य वर्ग के आठ बच्चे हैं।

उधर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि मिड डे मील में भेदभाव की शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।

कुछ और गायब बच्चों के बारे में विजय से राज उगलवाएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- बच्चा चोरी गिरोह के मास्टरमाइंड अस्पताल संचालक विजय को रिमांड पर लेगी पुलिस
- मां भगवती अस्पताल से बच्चों को बेचने के अवैध धंधे के भंडाफोड़ के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने शुरू की पड़ताल

बच्चा चोर गिरोह के मास्टरमाइंड विजय कुमार चौधरी से कुछ और गायब बच्चों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। अहियापुर के जीरो माइल से एक बच्चे के लापता होने का मामला इस थाने में सितंबर में दर्ज हुआ है। इस मामले में भी विजय की भूमिका संदिग्ध है। रिमांड पर लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने अहियापुर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

जुटाई जा रही विजय के बारे में पूरी जानकारी : एसएसपी ने कहा कि विजय के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करें। थाने में दर्ज बच्चों के लापता होने के मामले में उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करें। बताया गया है कि करीब एक दशक पहले से विजय भिखनपुर में अस्पताल का संचालन कर रहा था। उसके अवैध धंधे की भनक बहुत ही कम लोगों को थी।

इस बीच मंगलवार को भागलपुर स्टेशन पर जब उसकी सहयोगी महिला मुंगेर की कल्पना पकड़ी गई तो इस बात का पर्दाफाश हुआ कि भिखनपुर से बच्चों को चोरी कर बेचने का एक बड़ा रैकेट संचालित हो रहा है। छापे के दौरान यहां से संचालक व उसकी महिला सहयोगी (कथित पत्नी) सारिका पकड़ी गई। दोनों की निशानदेही पर भागलपुर से एक बच्चे की बरामदगी पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित बह्मदुरपुर से की गई। मामले में पकड़ी गई खरीदार शोभा चौधरी ने भी बच्चों के सौदागर की पहचान की। अहियापुर थाने में मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी पीके मंडल व अन्य अधिकारियों ने भी विजय से सघन पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और जानकारियां मिलेंगी।

आइएसआइ ड्रोन से बुलेटप्रूफ जैकेट भेजने की तैयारी में

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन

- खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पाकिस्तान की साजिश की जानकारी सामने आने के बाद सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी
- पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट से जुड़े हैं मामले के तार, एनआइए की टीम ने आरोपित हरजीत और मनदीप के परिजनों से की पूछताछ

धुंध का फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ड्रोन के जरिये भारतीय सीमा में दोबारा हथियार भेजने की तैयारी में है। इस बार हथियारों के साथ-साथ बुलेटप्रूफ जैकेट भेजने की भी आशंका जताई गई है। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि पंजाब में क्रिसमस और नववर्ष पर माहौल बिगाड़ने के लिए हाल ही में पंजाब के कुछ गर्मख्यालियों को विदेश से फंडिंग भी हुई है। हालांकि पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार उसमान नाम के आइएसआइ एजेंट द्वारा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों को हथियार और बुलेटप्रूफ जैकेटें भेजने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान में बैठा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख रंजीत सिंह नीटा और जर्मनी में बैठा आतंकी गुरमीत सिंह बग्गा भी लगातार आपस में संपर्क में हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई के लिए नीटा द्वारा छह से 13 दिसंबर के बीच भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के साथ संपर्क भी किया गया है।

उधर, एनआइए की टीम गुरुवार को इसी साल चार सितंबर को गांव पंडोरी गोला के खाली प्लॉट में हुए बम ब्लास्ट के मामले में आरोपित हरजीत सिंह हीरा और मनदीप सिंह के घर पहुंची। एनआइए की इस दबिश को भी उक्त मामले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। टीम के सदस्यों ने दोनों आरोपितों के परिजनों से पूछताछ की है। बताया गया है कि इन दोनों के घरों के अलावा एनआइए की टीम ने गुरजंट सिंह जंटा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी बाबा बलवंत सिंह व रोमनदीप सिंह झब्बाल के परिजनों से भी पूछताछ की है। इस दौरान टीम के कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में रहने वाले उन लोगों के बारे में जानकारी मिलने में आसानी होगी जिनके साथ आतंकी नीटा ने पिछले दिनों संपर्क किया था।

बता दें कि गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट में गांव बचड़े निवासी हरप्रीत सिंह हैप्पी, गांव कदगिल निवासी विक्रमजीत सिंह विक्की की मौत हो गई थी और गुरजंट सिंह जंटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने एक माह की जांच के दौरान सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने चोहला साहिब के समीप 22 सितंबर को चार आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब इन दोनों मामलों की जांच एनआइए कर रही है।

जानकारी देना जरूरी नहीं : वालिया

एसपी (आइ) जगजीत सिंह वालिया ने कहा कि इस मामले से स्थानीय पुलिस का अब संबंध नहीं है। एनआइए की जांच में पुलिस सहयोग जरूर दे रही है, परंतु इस बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है। वहीं, लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस गंभीरता बरत रही है।

एनआइए ने मांगा रिमांड, अदालत ने याचिका की खारिज

जासं, मोहाली : गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट मामले में वीरवार को एनआइए द्वारा इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों का रिमांड हासिल करने के लिए याचिका लगाई जिसे एनआइए अदालत में खारिज कर दिया। एनआइए आरोपित मस्सा सिंह, हरजीत सिंह, अमृतपाल सिंह और गुरजंट सिंह का आठ दिन का रिमांड मांगा था। एनआइए ने तर्क दिया कि कुछ संदिग्ध लोगों के घरों में छापामारी के दौरान टीम को कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनके बारे में उक्त आरोपितों से पूछताछ की जानी है। जिस पर बचाव पक्ष के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित से पहले पंजाब पुलिस और एनआइए पहले ही पूछताछ कर चुकी है। एनआइए की विशेष अदालत के जज करुनेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिमांड के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।

बढ़ता दाम

एक हफ्ते में ही दोगुने से अधिक हुई कीमत, तीस से चालीस रुपये तक बिक रहा है बाजार में, बारिश से बिगड़े हालात, आवक घटने से चढ़े भाव

प्याज के रुलाने के बाद अब आलू भी खा रहा है भाव

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

प्याज तो लोगों को रुला ही रहा था, अब आलू भी भाव खाने लगा है। आलम यह है कि पिछले एक सप्ताह में ही आलू की कीमतें दो गुने से ऊपर निकल गई हैं। कई राज्यों में नया आलू 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। कीमतें चढ़ने की वजह पिछले दिनों हुई बारिश बताई जा रही है। ऐसे में आलू की आवक प्रभावित हुई है, जिससे भाव चढ़ गए हैं।

एक सप्ताह पहले तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आलू की कीमत 12 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक थी। अब दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कीमत जहां करीब 30 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह सबसे महंगा बिक रहा है। यहां कीमतें 40 रुपये के पार पहुंच गई हैं। यहां कीमतों में आई तेजी की वजह दक्षिणी राज्यों में मांग बढ़ने के साथ ही पंजाब से आपूर्ति में कमी आना बताया जा रहा है। आपूर्ति हिमाचल प्रदेश में ही प्रभावित नहीं हुई है, उत्तर भारत के उक्त राज्यों के बाजार में भी आवक घटी है। गत दिनों हुई बेमौसम बारिश इसकी वजह बताई जा रही है। बारिश के कारण खेतों से आलू निकालने में किसान को परेशानी हो रही है। दूसरा, बरसात से फसल को भी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतें 100 रुपये के पार चल रही हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के लिए यह दोहरी मार के समान है।

उत्तर प्रदेश-बंगाल अव्वल

आलू का उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश और बंगाल सबसे अव्वल राज्य हैं। ज्यादातर राज्यों में इन्हीं दो प्रदेशों से सबसे ज्यादा सप्लाई की जाती है। पिछले दिनों हुई बारिश से दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसका असर फसल पर पड़ा है।

आलू तोलता एक सब्जी विक्रेता (फाइल फोटो)।

कहां क्या है कीमत (रुपये प्रति किलो)

राज्य	कीमत (पहले)	(अब)
दिल्ली-एनसीआर	12 से 15	30-35
झारखंड	12 से 15	30 से 32
हिमाचल प्रदेश	15 से 20	40 से 45
छत्तीसगढ़	12 से 15	30 से 35
मध्य प्रदेश	15 से 20	30 से 35
पंजाब	12 से 15	30 से 35
उत्तर प्रदेश	10 से 15	30 से 35

पुराना स्टॉक खत्म ज्यादातर मंडियों में नए आलू की ही आवक हो रही है, क्योंकि पुराना स्टॉक लगभग समाप्त हो गया है। कीमतें बढ़ने की यह भी एक वजह बताई जा रही है। ऐसे में नए आलू की आवक बढ़ने तक कीमतों में गिरावट की गुंजाइश कम है।

सलमान खान को जोधपुर कोर्ट में होना होगा पेश

संवाद सूत्र, जोधपुर

- काले हिरण शिकार मामले में स्थायी हाजिरी माफी की राहत नहीं
- पूछा-कहां है मुलजिम, सात मार्च को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल, उनको काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की जिला व सत्र अदालत से स्थायी हाजिरी माफी में राहत नहीं मिली है।

गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में काले हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी ने पूछा कि मुल्जिम कहां है? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे। इस पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई सात मार्च को वे अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित रहें। कोर्ट ने सलमान की तरफ से पेश स्थायी हाजरी माफी की अर्जी पर भी कोई फैसला नहीं दिया।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने जिला व सत्र न्यायालय में अपील की है। इसी की सुनवाई के दौरान उन्होंने स्थायी हाजिरी माफी की अर्जी दायर की थी।

1998 का है शिकार मामला : 1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में काले हिरणों के शिकार मामले में इसी साल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपियों फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व स्थानीय दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।